

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 4030


दिनांक : 16/9/14

आदेश

सां. आ. 96/2014. राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)() Rules/DLB/14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34, 34-ए के उप नियम (2), (5), एवं (6) में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार अब नगरपालिका निर्वाचनों में ऐसे मतदाता जो चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत नहीं देना चाहते, उनके लिए मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। इन नियमों में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प हेतु कोई चिन्ह विहित नहीं किया गया है। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को प्रदर्शित करने के लिए निम्नांकित निर्देश प्रदान करता है :-

1. मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा के विकल्प के लिए पैनल में अभ्यर्थी के नाम के स्थान पर "उपरोक्त में से कोई नहीं" अंकित किया जाएगा।
2. मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के सामने चुनाव चिन्ह के स्थान पर **NOTA** चिन्ह गोलाकार किनारों के साथ आयताकार रूप में अंकित किया जाएगा।
3. 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के निर्धारित उक्त चिन्ह के बैकग्राउण्ड में काला रंग होगा, जिस पर सफेद रंग से अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में NOTA अंकित होगा।

आज्ञा से,



(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 16/9/14

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 4031-37

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलेक्टर) राजस्थान।
5. समस्त निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका चुनाव) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के भाग 6(क) में प्रकाशित कर 50 प्रतियां आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. गार्ड फाईल।


16.9.2014.
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव